रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268334
CG-DL-E-08122025-268334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5495] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2025/अग्रहायण 17, 1947
No. 5495] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2025/AGRAHAYANA 17, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5683(अ).— केन्द्रीय सरकार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है) की धारा 104 में उपबंध है कि संहिता के किन्ही उपबंधों के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में, केन्द्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबंध उक्त अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगे और उसके निर्दिष्ट उक्त अधिनियमों के शेष उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे समान रीति से समान अधिसूचना द्वारा निरसित नहीं हो जाते हैं;

और, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5320(अ), तारीख 21 नवम्बर 2025 के अधीन, उक्त संहिता के उपबंधों को 21 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है और उक्त अधिसूचना ने, धारा 104 के प्रयोजन के लिए यथा अपेक्षित, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिनियम को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया;

और, उक्त संहिता की धारा 51 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि उक्त संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से ही, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व-

(क) श्रम न्यायालय और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्संबंधी अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे;

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्संबंधी अधिकारिता रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे;

और, उक्त धारा 51 की उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को इस प्रकार अंतरित मामलों को नए सिरे से या उस प्रक्रम से, जिस पर वे ऐसे अंतरण से पूर्व लंबित थे, उचित समझे, जैसा वह निपटाया जाएगा ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त संहिता की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2025 है ।

(2) यह तारीख 08.12.2025 को प्रवृत होगा।

2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित किए गए विद्यमान श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन औद्योगिक अधिकरणों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के गठन होने तक न्यायनिर्णयन की निरंतरता सुनिश्चित करने और किसी भी विधिक या प्रशासनिक शून्यता से बचने के प्रयोजन के लिए मौजूदा और नए मामलों का न्यायनिर्णयन करना जारी रखेंगे।

[फा. सं. एस-11025/07/2025-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2025

S.O. 5683(E).— Whereas, section 104 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) (hereafter in this Order referred to as the said Code) provides that in the notification issued under sub-section (3) of section 1 for the commencement of any provisions of the Code, the Central Government may specify that the provisions of the Acts specified in clauses (a) to (c) shall stand repealed with effect from the date appointed in the said notification and the remaining provisions of the said Acts referred thereto shall remain in force till they are repealed by like notification in the like manner;

And whereas, *vide* notification number S.O. 5320(E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, the provisions of the said Code have been brought into force with effect from the 21st day of November, 2025 and the said notification did not expressly repeal any of the Acts specified in sub-section (1), as required for the purpose of section 104;

And whereas, sub-section (1) of section 51 of the said Code provides that, on and from the date of commencement of the said Code, the cases pending immediately before such commencement—

(a) in the Labour Court and the Tribunal constituted under the Industrial Disputes Act, 1947, shall be transferred to the Tribunal having corresponding jurisdiction under this Code;

(b) in the National Tribunal constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 shall be transferred to the National Industrial Tribunal having corresponding jurisdiction under this Code;

And whereas, sub-section (2) of said section 51 provides that the cases so transferred under sub-section (1) to the Tribunal or the National Industrial Tribunal shall be dealt with *de novo* or from the stage at which they were pending before such transfer, as it may deem fit.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the said Code, the Central Government, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Industrial Relations Code (Removal of Difficulties) Order, 2025.

(2) It shall come into force with effect from the 8th day of December 2025.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the existing Labour Courts, Industrial Tribunals and National Industrial Tribunals constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) shall continue to adjudicate the existing as well as new cases, for the purpose of ensuring continuity of adjudication and avoiding any legal or administrative vacuum until the constitution of Industrial Tribunals and National Industrial Tribunals under the Industrial Relations Code, 2020.

[F. No. S-11025/07/2025-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA